

प्रेस-विज्ञाप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:-28.01.2021

थाना शिवली पुलिस द्वारा अपहरण कर हत्या कर देने की घटना का खुलासा कर 04 नफर
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण हेतु चलाये गये अभियान में थाना शिवली पर मु0अ0स0 26 / 2021 धारा 363 भा0द0वि0 में पंजीकृत वादी श्री दिनेश कुमार सिंह उर्फ बब्लू निवासी ग्राम ज्योती थाना शिवली का0दे0 द्वारा अपने पुत्र लकी सिंह उर्फ छोटू के दिनांक 16.01.2021 को ग्राम ज्योती से लापता हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी जिसमें टीम के सदस्यों द्वारा अपहृत लकी सिंह उर्फ छोटू की तलाश में हर सम्भव प्रयास किये गये इसी क्रम में दिनांक 24.01.2021 को जानकारी प्राप्त हुयी कि अपहृत लकी सिंह उर्फ छोटू को जहाँ पर अन्तिम बार देखा गया था उस स्थान पर अपहृत के मोबाइल पर नं0 9793576771 से फोन आना पाया गया जिस क्रम में उक्त मोबाइल नं0 के धारक रोहित कुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र निवासी गडोलेपुर पोस्ट चितौली थाना खागा जनपद फतेहपुर की तलाश कर पूछताछ की गयी तो जानकारी हुई कि मोबाइल धारक रोहित कुमार यादव का उक्त मोबाइल व 2500 रुपये उससे दिनांक 14.01.2021 को कानपुर नगर मे 04 अज्ञात स्विप्ट डिजायर पर आये व्यक्तियों द्वारा रोहित कुमार यादव को खागा जनपद फतेहपुर छोड़ने की बात कहकर कानपुर मे ही जे0के0 ढावा के आगे किसी सूनसान रास्ते पर लूट लेना पाया गया तथा अभियुक्त शिवम सविता के फोन से अभियुक्तगणों द्वारा पुनः दिनांक 15.01.2021 की सुबह रोहित कुमार यादव को फोन कर धमकाया गया जिस कारण रोहित कुमार के फोन मे अभियुक्त शिवम सविता की फोटो आ गयी। तथा वादी मुकदमा द्वारा पहचान कर बताया गया कि यह वही शिवम सविता है जो करीब 02 वर्षों से उसके दामाद सुमित कुमार की गाड़ी स्विप्ट डिजायर चलाता है। तथा गहनता से जाँच की गयी तो पाया गया कि अपहृत लकी सिंह उर्फ छोटू के जीजा सुमित कुमार सिंह के पास एक स्विप्ट डिजायर गाड़ी है तथा घटना के दिनांक ही अपहृत लकी सिंह उर्फ छोटू के द्वारा गाँव के कुछ लोगों को बताया गया था कि वह अपने जीजा सुमित व उनके दोस्त शिवम से मिलने के लिये प्रतापपुर उदैत जा रहा है। और गहनता से जाँच की गयी तो प्रभारी निरीक्षक महोदय बिन्दकी जनपद फतेहपुर से प्राप्त एक अज्ञात शव की सूचना तथा वादी मुकदमा द्वारा उक्त शव के अपने अपहृत पुत्र लकी सिंह उर्फ छोटू के रूप मे पहचान कर लेने तथा उक्त व्यक्ति रोहित कुमार यादव जिसके साथ लूट की घटना अभियुक्तगणों के द्वारा की गयी थी के द्वारा अभियुक्त शिवम सविता को पहचान लेने तथा अभियुक्त शिवम सविता की गिरफ्तारी व उससे की गयी पूछताछ से पाया गया कि अभियुक्त सुमित कुमार सिंह के द्वारा अपहृत अपने साले लकी सिंह उर्फ छोटू की हत्या अपने अन्य तीन साथियों (1) सूरज कुमार उर्फ गोलू पुत्र पुतीलाल नि0 ग्राम भारू थाना विधनू जनपद कानपुर नगर (2) अशोक कुमार पुत्र राणा प्रताप नि0 रानीखेड़ा परसैनी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ तथा उपरोक्त (3) शिवम सविता पुत्रस्व0 रामवहादुर नि0 ग्राम भारू थाना विधनू जनपद कानपुर नगर के साथ मिलकर अपहृत लकी सिंह उर्फ छोटू द्वारा उसके जीजा/अभियुक्त सुमित कुमार सिंह की बहन सारिका सिंह उर्फ चिंकी के साथ पारिवारिक विवाद को लेकर हुए झगड़े मे मारपीट करने जिससे उसके कपड़े फट जाने के कारण उसी रंजिश को निकालने के लिये एक राय होकर अपहरण कर तथा उक्त स्विप्ट डिजायर गाड़ी मे ही लकी सिंह

उर्फ छोटू की गले को रस्सी से कसकर हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से रामगंगा नहर में साढ़ नहर पुल से फेंक दिया गया। जिस कारण अभियोग में धारा 363 भा०द०वि० का लोप करते हुये धारा 34 / 364 / 302 / 201 भा०द०वि० में तरमीम की गयी तथा विवेचना मुझ प्र०नि० द्वारा गृहण कर सम्पादित की गयी मुझ विवेचक द्वारा की गयी अप्रिम विवेचना में शेष अभियुक्तगण (1) सूरज कुमार उर्फ गोलू पुत्र पुत्तीलाल नि० ग्राम भारू थाना विधनू जनपद कानपुर नगर (2)अशोक कुमार पुत्र राणा प्रताप नि० रानीखेड़ा परसैनी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ तथा (3) सुमित कुमार सिंह पुत्र स्व० मंजय सिंह नि० दयालपुरवा 63ए थाना नौवस्ता जनपद कानपुर नगर मूल निवासी दृ बुमराह पोस्ट चमरू थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर की गिरफतारी व उनके द्वारा किये गये जुर्म के इकबालिया बयानों तथा अपहृत लकी सिंह उर्फ छोटू की मृत्यु कारित करते समय प्रयुक्त रस्सी के उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी यूपी 78 एफएल 0273 की डिग्गी से बरामदगी से घटना का पूर्ण खुलासा किया गया ।

गिरफतार अभियुक्त-

1. सूरज कुमार उर्फ गोलू पुत्र पुत्तीलाल नि० ग्राम भारू थाना विधनू जनपद कानपुर नगर ।
2. अशोक कुमार पुत्र राणा प्रताप नि० रानीखेड़ा परसैनी थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ ।
3. सुमित कुमार सिंह पुत्र स्व० मंजय सिंह नि० दयालपुरवा 63ए थाना नौवस्ता जनपद कानपुर नगर ।
4. शिवम सविता पुत्रस्व० रामवहादुर नि० ग्राम भारू थाना विधनू जनपद कानपुर नगर ।

बरामदगी

1. स्विफ्ट डिजायर गाड़ी यूपी 78 एफएल 0273
1. एक अदद रस्सी आला कतल ।

गिरफतारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक वीर पाल सिंह तोमर थाना शिवली का०दे०
- 2.उ०नि० श्री रामऔतार सिंह थाना शिवली का०दे०
- 3.उ०नि० श्री शशिकान्त यादव थाना शिवली का०दे०
- 4.उ०नि० श्री लक्ष्मण सिंह चौकी प्रभारी भाऊपुर थाना शिवली का०दे०
- 5.का० 764 अभिषेक कुमार थाना शिवली का०दे०
- 6.का० अजीत कुमार जनपदीय सर्विलांस सेल कानपुर देहात